



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2023 / 39

दर्ज तिथि:-27.01.2023

1. अमेदाराम पुत्र उकाराम
2. नेनूदेवी पत्नी उकाराम
3. बाबूलाल पुत्र उकाराम
4. भगवानाराम पुत्र उकाराम
5. मोहनलाल पुत्र उकाराम
6. रमेश पुत्र उकाराम
7. राजूराम पुत्र उकाराम
8. नाबालिग सुरेश पुत्र उकाराम कुदरती वली माता नेनूदेवी
कौम कुम्हार निवासी पीपराली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. पेमाराम पुत्र फोजाराम
2. रावताराम पुत्र फोजाराम
3. गुणेशाराम पुत्र लालाराम
4. सुरताराम पुत्र लालाराम
5. सवाईराम पुत्र लालाराम
6. जगमालराम पुत्र मोटाराम
7. जरूपाराम पुत्र मोटाराम
8. सरदाराराम पुत्र मोटाराम
कौम कुम्हार निवासी पीपराली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

9. जरिये राज्य सरकार तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादीगण:-श्री पूनमाराम विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955



—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-26.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 201/0.0486 है0, 643/0.9955 है0 मौजा पीपराली तहसील गुड़ामालानी एवं खसरा संख्या 171/2.9461 है0, 173/2.3634 है0 मौजा गुन्देलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रैजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 जरिये आसलतन-वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.05.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रैजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/692 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रैजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता उभपक्षकारान द्वारा उक्तानुसार विभाजन स्वीकार किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/692 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रैजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
-------------------------	---------------------

<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</p> <p><i>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</i></p>	<p>प्रकरण में दिनांक 19.02.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 502-517 दिनांक 07.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 19.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p> <p>2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील तहसील नोखडा के नोटिस पत्रांक 502-517 दिनांक 07.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 19.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2072-2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 201/0.0486 है0, 643/0.9955 है0 मौजा पीपराली तहसील गुड़ामालानी एवं खसरा संख्या 171/2.9461 है0, 173/2.3634 है0 मौजा गुन्देलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकारान की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 201/0.0486 है0, 643/0.9955 है0 मौजा पीपराली तहसील गुड़ामालानी एवं खसरा संख्या 171/2.9461 है0, 173/2.3634 है0 मौजा गुन्देलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।


खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अमेदाराम पुत्र उकाराम हि0 1/8 सुरेश कुमार पुत्र उकाराम हि0 1/8 बाबूलाल पुत्र उकाराम हि0 1/8 भगवानाराम पुत्र उकाराम हि0 1/8 मोहनलाल पुत्र उकाराम हि0 1/8 रमेश पुत्र उकाराम हि0 1/8 राजूराम पुत्र उकाराम हि0 1/8 नेनूदेवी पत्नी उकाराम हि0 1/8 सा0 देह खातेदार	पीपराली	646 643 201	0.6853 0.1357 0.0324	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 1.0334 है0				
अमेदाराम पुत्र उकाराम हि0 1/8 सुरेश कुमार पुत्र उकाराम हि0 1/8 बाबूलाल पुत्र उकाराम हि0 1/8 भगवानाराम पुत्र उकाराम हि0 1/8 मोहनलाल पुत्र उकाराम हि0 1/8 रमेश पुत्र उकाराम हि0 1/8 राजूराम पुत्र उकाराम हि0 1/8 नेनूदेवी पत्नी उकाराम हि0 1/8 सा0 देह खातेदार	गुन्देलपुरा	171 173	0.9820 0.7878	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 1.7698 है0				
जगमालराम पुत्र मोटाराम हि0 45/437 जाति कुम्हार जगरूपाराम पुत्र मोटाराम हि0 45/437 जाति कुम्हार सा0 देह सरदाराराम पुत्र मोटाराम हि0 45/437 जाति कुम्हार सा0 देह पेमाराम पुत्र फोजाराम हि0 151/437 रावताराम पुत्र फोजाराम हि0 151/437 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	गुन्देलपुरा	171 173	1.9641 1.5756	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 3.5397 है0				
पेमाराम पुत्र फोजाराम हि0 1/2 जाति कुम्हार रावताराम पुत्र फोजाराम हि0 1/2 जाति कुम्हार	पीपराली	201 643	0.0162 0.6798	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 0.6960 है0				
गुणेशाराम पुत्र लालाराम हि0 27/169 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार सुरताराम पुत्र लालाराम हि0 27/169 जाति कुम्हार सवाईराम पुत्र लालाराम हि0 27/169 जाति कुम्हार पेमा पुत्र फोजा हि0 1/2 रावताराम पुत्र फोजाराम हि0 7/338 जाति	पीपराली	646 646	0.6852 0.6853	बा0सो0 बा0सो0

कुम्हार सा0 देह				
कुल किता 02 रकबा 1.3705 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2023 / 39

दर्ज तिथि:-27.01.2023

1. अमेदाराम पुत्र उकाराम
2. नेनूदेवी पत्नी उकाराम
3. बाबूलाल पुत्र उकाराम
4. भगवानाराम पुत्र उकाराम
5. मोहनलाल पुत्र उकाराम
6. रमेश पुत्र उकाराम
7. राजूराम पुत्र उकाराम
8. नाबालिग सुरेश पुत्र उकाराम कुदरती वली माता नेनूदेवी
कौम कुम्हार निवासी पीपराली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. पेमाराम पुत्र फोजाराम
2. रावताराम पुत्र फोजाराम
3. गुणेशाराम पुत्र लालाराम
4. सुरताराम पुत्र लालाराम
5. सवाईराम पुत्र लालाराम
6. जगमालराम पुत्र मोटाराम
7. जरूपाराम पुत्र मोटाराम
8. सरदाराराम पुत्र मोटाराम
कौम कुम्हार निवासी पीपराली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

9. जरिये राज्य सरकार तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादीगण:-श्री पूनमाराम विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

—:पर्चा डिक्री:—

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 201/0.0486 है0, 643/0.9955 है0 मौजा पीपराली तहसील गुड़ामालानी एवं खसरा संख्या 171/2.9461 है0, 173/2.3634 है0 मौजा गुन्देलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अमेदाराम पुत्र उकाराम हि0 1/8 सुरेश कुमार पुत्र उकाराम हि0 1/8 बाबूलाल पुत्र उकाराम हि0 1/8 भगवानाराम पुत्र उकाराम हि0 1/8 मोहनलाल पुत्र उकाराम हि0 1/8 रमेश पुत्र उकाराम हि0 1/8 राजूराम पुत्र उकाराम हि0 1/8 नेनूदेवी पत्नी उकाराम हि0 1/8 सा0 देह खातेदार	पीपराली	646 643 201	0.6853 0.1357 0.0324	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 1.0334 है0				
अमेदाराम पुत्र उकाराम हि0 1/8 सुरेश कुमार पुत्र उकाराम हि0 1/8 बाबूलाल पुत्र उकाराम हि0 1/8 भगवानाराम पुत्र उकाराम हि0 1/8 मोहनलाल पुत्र उकाराम हि0 1/8 रमेश पुत्र उकाराम हि0 1/8 राजूराम पुत्र उकाराम हि0 1/8 नेनूदेवी पत्नी उकाराम हि0 1/8 सा0 देह खातेदार	गुन्देलपुरा	171 173	0.9820 0.7878	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 1.7698 है0				
जगमालराम पुत्र मोटाराम हि0 45/437 जाति कुम्हार जगरूपाराम पुत्र मोटाराम हि0 45/437 जाति कुम्हार सा0 देह सरदाराराम पुत्र मोटाराम हि0 45/437 जाति कुम्हार सा0 देह पेमराम पुत्र फोजाराम हि0 151/437 रावताराम पुत्र फोजाराम हि0 151/437 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	गुन्देलपुरा	171 173	1.9641 1.5756	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 3.5397 है0				

पेमराम पुत्र फोजाराम हि0 1/2 जाति कुम्हार रावताराम पुत्र फोजाराम हि0 1/2 जाति कुम्हार	पीपराली	201 643	0.0162 0.6798	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 0.6960 है0				
गुणेशाराम पुत्र लालाराम हि0 27 / 169 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार सुरताराम पुत्र लालाराम हि0 27 / 169 जाति कुम्हार सवाईराम पुत्र लालाराम हि0 27 / 169 जाति कुम्हार पेमा पुत्र फोजा हि0 1/2 रावताराम पुत्र फोजाराम हि0 7 / 338 जाति कुम्हार सा0 देह	पीपराली	646 646	0.6852 0.6853	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 1.3705 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर